

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ०प्र०,
रोजगार भवन गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।
पत्रांक 74/ई-13/पी०ई०ओ०/ज०सूचना/2020
लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर, 2020

पी०के० पुण्डीर उप निदेशक(सेवायोजन) एवं जनसूचना अधिकारी, निदेशालय

कृपया निदेशालय पत्र संख्या: 854/ई-1/0903/ज०सू०/रो०वि०सरदार/631 दिनांक: 04 नवम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संलग्न श्री रोहन विजय सरदार, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एण्ड टेक्निकल ऐजुकेशन, तनिष्का हाईट्स अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं०- 201 रेणुका नगर, लेन नं०, वार्जे, पुणे-411058, द्वारा सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एण्ड टेक्निकल एजुकेशन (CIVTE) सोसायटी पुणे के प्रमाण पत्र धारकों/ व्यावसायिक डिप्लोमा धारकों का प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण हो सकने के संबंध में जानकारी चाही गयी है। जो निम्नवत् है-

बिन्दु संख्या	प्रश्न	आख्या
70 श्रीमती विजय-2-21 10/11/2020 S-198	3.(ii) We would like to know whether the Registration of Candidates holding the Certificate/Vocational Diploma issued by Central Institute of Vocational & Technical Education (CIVTE) run by Vidyadhan Education society pune is Possible at all Employment Exchanges in Uttar Pradesh state. Kindly let us know the Information under RTI Act, 2005.	उक्त के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन कार्यालयों को निदेशालय पत्र संख्या- 4307/सात/ई-10/जनसूचना/सा०/2014 दिनांक: 23 मार्च 2018 (संलग्न) द्वारा अमान्यता प्राप्त संस्थानों के डिप्लोमा/प्रमाण पत्रों धारक बेरोजगार अभ्यर्थियों का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराये जाने हेतु डी०जी०ई०टी० श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली के राष्ट्रीय रोजगार वर्किंग ग्रुप की 35वी बैठक में लिये गये निर्णय संख्या ई०ई०एम० नं०-1/2010/पी०टी०-1/ V11/7.9 दिनांक 30 सितम्बर 2010 (संलग्न) के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(मिथिलेश कुमार)
जिला रोजगार सहायकता अधिकारी